

THINK IAS

JOIN SAMYAK

Samyak
An Institute For Civil Services

DAILY
CURRENT नामा

29 अगस्त

 **9875170111**

 **SAMYAK IAS, NEAR RIDDHI-SIDDHI, JAIPUR**

भूगोल



तूफान शानशान

पाठ्यक्रम में प्रासंगिकता - सामान्य अध्ययन-1

सुर्खियों में क्यों ?

- इस साल का सबसे शक्तिशाली तूफान 'शानशान' ने जापान में दस्तक दी, बारिश होने के साथ 252 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रहीं

प्रारंभिक परीक्षा के लिए उपयोगी तथ्य



समाज


महाराष्ट्र में भू-आकृति की खोज

पाठ्यक्रम में प्रासंगिकता - सामान्य अध्ययन-1: भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएँ

सुर्खियों में क्यों ?

- महाराष्ट्र प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1960 के तहत, महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में रत्नागिरी जिले में 70 स्थानों पर 1,500 जियोग्लिफ को 'संरक्षित स्मारक' घोषित किया है। यह घोषणा दो दशकों से अधिक समय से नागरिकों द्वारा किए जा रहे शोध के बाद की गई है, जिसमें इन जियोग्लिफ के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला गया है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए उपयोगी तथ्य



राज्यवस्था

बाल विवाह निषेध (पीसीएम) अधिनियम, 2006 में संशोधन

पाठ्यक्रम में प्रासंगिकता - सामान्य अध्ययन-11: महत्वपूर्ण नीतियाँ

सुर्खियों में क्यों ?

- हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने हाल ही में बाल विवाह निषेध (पीसीएम) अधिनियम, 2006 में संशोधन करते हुए एक विधेयक पारित किया है, जिसमें महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष की गई है।
- यह विधेयक विवाह में पुरुषों और महिलाओं के बीच आयु के भेद को समाप्त करता है, तथा दोनों लिंगों के लिए विवाह योग्य आयु को 21 वर्ष करता है। यह वयस्क होने के बाद विवाह को रद्द करने के लिए याचिका दायर करने की समय अवधि को भी दो वर्ष से बढ़ाकर पाँच वर्ष कर देता है।
- विधेयक ने बहस छेड़ दी है क्योंकि यह मौजूदा केंद्रीय कानून के साथ असंगत परिवर्तन पेश करता है, जिससे इसकी संवैधानिक वैधता और इसके लागू होने की प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं।

बाल विवाह निषेध अधिनियम (पीसीएम), 2006 के मौजूदा प्रावधान

संवैधानिक संदर्भ:

• बाल विवाह निषेध अधिनियम (पीसीएम), 2006 में वर्तमान में "बालक" की परिभाषा 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष और 18 वर्ष से कम आयु की महिला के रूप में दी गई है। "बाल विवाह" को ऐसे विवाह के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें अनुबंध करने वाले पक्षों में से कोई एक बच्चा हो। कानून का उद्देश्य बाल विवाह को रोकना है, साथ ही बाल विवाह को बढ़ावा देने या संपन्न कराने वालों के लिए दंड का प्रावधान है।

• भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची, सूची III (समवर्ती सूची) के अंतर्गत, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को विवाह, तलाक और नाबालिगों जैसे विषयों पर कानून बनाने की अनुमति देती है। हालाँकि, अनुच्छेद 254(1) में कहा गया है कि यदि कोई राज्य कानून समवर्ती सूची में किसी विषय पर केंद्रीय कानून के प्रतिकूल है, तो केंद्रीय कानून तब तक लागू रहेगा जब तक कि राज्य कानून को अनुच्छेद 254(2) के तहत राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिल जाती।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए उपयोगी तथ्य

हिमाचल विधेयक द्वारा प्रस्तुत मुख्य संशोधन:

- हिमाचल प्रदेश विधेयक में "बच्चे" की परिभाषा में किसी भी व्यक्ति (पुरुष या महिला) को शामिल किया गया है, जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, जिससे महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष हो गई है।
- यह संशोधित प्रावधानों को किसी भी अन्य कानून या प्रथा पर अधिभावी प्रभाव प्रदान करता है, जिससे व्यक्तिगत कानून के बावजूद सभी समुदायों में समान रूप से लागू होना सुनिश्चित होता है।
- विधेयक अधिनियम में धारा 18ए को शामिल करता है, जो पूरे केंद्रीय कानून और राज्य के भीतर इसके प्रावधानों को प्रभावी बनाता है।
- यह वयस्क होने के बाद विवाह को रद्द करने के लिए याचिका दायर करने की समय अवधि को दो साल से बढ़ाकर पांच साल करता है।

भारत में विवाह कानून:

- विशेष विवाह अधिनियम, 1954 और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत, विवाह के लिए न्यूनतम आयु पुरुषों के लिए 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष हैं।
- मुसलमानों, ईसाइयों, पारसियों और अन्य लोगों को नियंत्रित करने वाले व्यक्तिगत कानूनों में विवाह योग्य आयु के अलग-अलग मानदंड हो सकते हैं।

मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण



अर्थव्यवस्था

प्रधानमंत्री जन धन योजना का एक दशक

पाठ्यक्रम में प्रासंगिकता - सामान्य अध्ययन-III

सुर्खियों में क्यों ?

- प्रधानमंत्री जन धन योजना(पीएमजेडीवाई) को भारत के वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी पहल के रूप में सराहा गया है, तथा 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत के एक दशक पूरे हो गए हैं।

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने पहले स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान शुरु की गई योजना का उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं से वंचित आबादी तक पहुँच प्रदान करके वित्तीय समावेशन को बढ़ाना था। अगस्त 2024 तक, इस योजना का विस्तार 53 करोड़ से अधिक बैंक खातों तक हो चुका है, जिससे भारत की वित्तीय प्रणाली का परिदृश्य काफी बदल गया है।

पृष्ठभूमि

- **घोषणा:** इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से अपने पहले स्वतंत्रता दिवस संबोधन के दौरान की थी। इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य प्रत्येक भारतीय, विशेष रूप से सबसे गरीब नागरिकों को बुनियादी बैंकिंग सुविधाओं तक पहुँच प्रदान करना था। पीएम मोदी ने इस योजना के उद्देश्य पर जोर दिया कि आर्थिक रूप से वंचित आबादी को मुख्यधारा की बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा जाए और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक मंच प्रदान किया जाए।
- **पहले सप्ताह में ही लगभग 1.8 करोड़ खाते खोले गए,** जिससे इस पहल को "वित्तीय समावेशन अभियान के तहत एक सप्ताह में खोले गए सर्वाधिक बैंक खातों" के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला, 23 से 29 अगस्त, 2014 के बीच कुल 18,096,130 खाते खोले गए।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए उपयोगी तथ्य

मुख्य विशेषताएं:

- **बुनियादी बचत बैंक खाते:** पीएमजेडीवाई ने व्यक्तियों को बिना किसी न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता के एक सरल बचत खाता प्रदान किया, जिस पर नियमित बचत खातों की तरह ब्याज मिलता था।
- **रुपे डेबिट कार्ड:** डिजिटल लेनदेन की सुविधा के लिए खाताधारकों को रुपे डेबिट कार्ड जारी किए गए।
- **दुर्घटना बीमा कवर:** प्रत्येक पीएमजेडीवाई खाते में ₹1 लाख का दुर्घटना बीमा कवर था, जिसे बाद में 28 अगस्त, 2018 के बाद खोले गए खातों के लिए बढ़ाकर ₹2 लाख कर दिया गया।
- **ओवरड्राफ्ट सुविधा:** पात्र खाताधारकों को ₹10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा दी गई।
- **अन्य योजनाओं के साथ एकीकरण:** पीएमजेडीवाई खातों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), अटल पेंशन योजना और मुद्रा योजना जैसी विभिन्न सरकारी योजनाओं के साथ एकीकृत किया गया, जिससे वित्तीय समावेशन को और बढ़ावा मिला।

जन धन योजना का प्रभाव

- **वित्तीय समावेशन और पहुँच:** पीएमजेडीवाई भारत की वित्तीय समावेशन रणनीति का आधार रही है, जिसने लाखों ऐसे व्यक्तियों को औपचारिक बैंकिंग क्षेत्र में लाया है जो पहले बैंकिंग सेवाओं से वंचित थे। इस योजना की सफलता 14 अगस्त, 2024 तक 53.13 करोड़ बैंक खाते खोलने में स्पष्ट है, जिसमें ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों (35.37 करोड़ खाते) पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है।
- **बैंकिंग बुनियादी ढांचे का विस्तार:** बैंकिंग सेवाओं की मांग में वृद्धि ने बैंकिंग बुनियादी ढांचे में विस्तार को बढ़ावा दिया है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक शाखाओं की संख्या 2013 में 1,05,992 से 46% बढ़कर 2023 में 1,54,983 हो गई, जिनमें से 35% शाखाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त, एटीएम की संख्या में 30% की वृद्धि हुई है, जो जून 2014 में 1,66,894 से बढ़कर 2024

में 2,16,914 हो गई हैं, और **पॉइंट ऑफ सेल (POS) टर्मिनलों की संख्या** पिछले दशक में 10.88 लाख से बढ़कर 89.67 लाख हो गई हैं।

- **डिजिटल भुगतान और लेन-देन के लिए उत्प्रेरक:** पीएमजेडीवाई खातों ने 2016 में लॉन्च किए गए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) जैसे डिजिटल भुगतान समाधानों के लिए आधार प्रदान किया है, जिसने भारत में डिजिटल बैंकिंग लेनदेन में क्रांति ला दी है।
 - भारतीय रिज़र्व बैंक की मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट (जून 2024) के अनुसार, इस पहल ने बैंक खातों की उपयोगिता को व्यापक बना दिया है। विश्व बैंक के फ़ाइंडेक्स डेटाबेस में भी वित्तीय समावेशन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जहाँ 2021 में 78% भारतीय वयस्कों के पास बैंक खाता है, जबकि 2014 में यह संख्या केवल 53% थी।
- **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) में वृद्धि:** पीएमजेडीवाई खाते सरकार के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) ढांचे की रीढ़ बन गए हैं, जिससे लाभार्थियों को सीधे सब्सिडी और वित्तीय सहायता की कुशल डिलीवरी की सुविधा मिलती है। इस प्रणाली ने लीकेज को काफी हद तक कम किया है और अयोग्य या नकली लाभार्थियों को समाप्त किया है।



पर्यावरण

ढँचा

पाठ्यक्रम में प्रासंगिकता - सामान्य अध्ययन-III: संरक्षण

- **इसके बारे में:** ढँचा एक **दलहनी फसल** है, जिसका वानस्पतिक नाम 'Sesbania bispinosa' है। इसका प्रयोग **हरी खाद** के रूप में किया जाता है। इसका **पौधा 10 से 15 फीट की ऊंचाई** वाला होता है। ढँचा एक दलहनी फसल होने की वजह से **धरती में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता** है।

- **उपयोग:** पशुओं को खिलाने और भारत में मृदा सुधार के लिए उपयोग किया जाता है।
- **मौसम:** सभी मौसमों में उगाया जाता है जब पर्याप्त नमी उपलब्ध होती है।
- **बुवाई:** मार्च - अप्रैल
- **मृदा:** इसे हर प्रकार की मृदा में उगाया जा सकता है। बीज की फसल की अच्छी उपज पाने के लिए इसके लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है।



भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने पश्चिमी घाट में मकड़ी की दो नई प्रजातियों की खोज की पाठ्यक्रम में प्रासंगिकता - सामान्य अध्ययन-III: संरक्षण

सुर्खियों में क्यों ?

- कोलकाता स्थित भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) ने दक्षिणी पश्चिमी घाट, जो जैव विविधता के लिए जाना जाता है, से मकड़ियों की दो नई प्रजातियाँ, **माइमेटस स्पिनेटस** और **माइमेटस पार्वुलस** की खोज की है। यह खोज उल्लेखनीय है क्योंकि यह भारत में माइमेटस इंडिकस की खोज के 118 वर्षों के बाद माइमेटस वंश की नई प्रजाति की पहचान का प्रतीक है।
- दो नई खोजी गई प्रजातियाँ, **माइमेटस स्पिनेटस** और **माइमेटस पार्वुलस**, क्रमशः कर्नाटक के **मूकाम्बिका वन्यजीव अभयारण्य** और केरल के एर्नाकुलम जिले से खोजी गईं।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए उपयोगी तथ्य

जीनस माइमेटस का महत्व:

- **माइमेटस जीनस**, जिसे **समुद्री डाकू** या **नरभक्षी मकड़ियाँ** भी कहा जाता है, अपने अनोखे शिकारी व्यवहार के लिए जानी जाती हैं।
- ये मकड़ियाँ अन्य मकड़ियों के जालों में घुसपैठ करती हैं, शिकार या साथी के कंपन की नकल करके मेजबान मकड़ी को धोखा देती हैं और मार देती हैं।
- इन दो नई प्रजातियों के जुड़ने से भारत में मिमेटस प्रजातियों की **कुल संख्या तीन** हो गई है, जो सभी देश के दक्षिणी भाग में पाई जाती हैं।
- **माइमेटस स्पिनेटस**
 - हल्के पीले रंग के सिर और हल्के हरे रंग के धब्बों के साथ सफेद पेट
- **माइमेटस पार्वुलस**
 - हल्के क्रीमी-गुलाबी रंग के सिर के साथ घने काले धब्बे और त्रिकोणीय आकार का पेट


मूकाम्बिका वन्यजीव अभयारण्य

- **नाम:** इसका नाम **कोल्लूर मूकाम्बिका मंदिर** से लिया गया है।
- **स्थान:** पश्चिमी घाट में
- **भूवैज्ञानिक विशेषताएँ:** कोडाचद्री पहाड़ियाँ अभयारण्य में स्थित हैं।

- **वनस्पति:** सदाबहार, अर्ध-सदाबहार और नम पर्णपाती वन, और सागौन के बागानों के छोटे-छोटे टुकड़े।
- **एक जोड़ने वाली कड़ी:** सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य (दक्षिण) और शरावती वन्यजीव अभयारण्य (उत्तर) के बीच स्थित हैं।
- **नदियाँ:** चक्र नदी और सौपर्णिका नदी
- **झरने:** कूसल्ली झरने, बेलकल तीर्थ झरने

अन्य खबरें

चर्चा का विषय	महत्वपूर्ण जानकारी
यूक्रेन द्वारा कर्स्क में अचानक घुसपैठ	<ul style="list-style-type: none"> • सुर्खियों में क्यों - हाल ही में यूक्रेन ने रूस के कर्स्क क्षेत्र में घुसपैठ की, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से रूसी क्षेत्र या पूर्व सोवियत संघ पर पहला जमीनी आक्रमण था। इस हमले ने मास्को को आश्चर्यचकित कर दिया, जिससे संभावित खुफिया विफलता उजागर हुई और चल रहे संघर्ष की गतिशीलता बदल गई। • कर्स्क ओब्लास्ट: रूस का एक संघीय विषय, जो देश के दक्षिण-पश्चिमी भाग में स्थित है, जिसकी पश्चिमी सीमा यूक्रेन से लगती है। • सुमी क्षेत्र: यूक्रेन का एक पूर्वोत्तर प्रांत, जो कर्स्क से सटा हुआ है, जो प्रभावित होने वाले प्राथमिक क्षेत्रों में से एक रहा है।
परमाणु ऊर्जा से चलने वाली रेलगाड़ियाँ	<ul style="list-style-type: none"> • सुर्खियों में क्यों - भारतीय रेलवे कैंटिव इकाइयों के माध्यम से परमाणु ऊर्जा के उपयोग की संभावना तलाश रहा है, क्योंकि वह गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों और नवीकरणीय स्रोतों पर निर्भरता बढ़ाना चाहता है। रेलवे की योजना 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने की है।




- **इसके बारे में:** वे परमाणु प्रतिक्रिया से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग भाप बनाने के लिए करते हैं, जो टर्बाइनों को चलाती हैं।
- **तंत्र:** एक टर्बाइन रेलगाड़ियाँ को शक्ति प्रदान करता है, जबकि दूसरा प्रकाश और एयर कंडीशनिंग जैसी सहायक प्रणालियों के लिए बिजली उत्पन्न करता है।
- **आविष्कार:** परमाणु ऊर्जा से चलने वाली ट्रेनों के विचार ने 1950 के दशक में सोवियत संघ में ध्यान आकर्षित किया।

डिज़ाइन:

- एक पोर्टेबल परमाणु रिएक्टर जो भाप बनाने के लिए एक तरल पदार्थ को गर्म करता है। यह फिर इलेक्ट्रिक टर्बाइन को शक्ति देता है जो ट्रेन को आगे बढ़ाने के लिए बिजली उत्पन्न करता है।
- **थोरियम रिएक्टर:** अन्य परमाणु सामग्रियों की तुलना में इनमें विकिरण जोखिम कम होता है, तथा जोखिम को न्यूनतम करने और संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए उन्नत सुरक्षा तंत्र होते हैं।

टेल वन्यजीव अभयारण्य

- **सुर्खियों में क्यों -** मुंबई स्थित एक लेपिडोटेरिस्ट (तितलियों और पतंगों के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित) ने अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में टेल वन्यजीव अभयारण्य में 85 तितली प्रजातियों को रिकॉर्ड किया है।
- **स्थान:** अरुणाचल प्रदेश का निचला सुबनसिरी जिला, 2400 मीटर की ऊँचाई पर।
- **नदियाँ:** पंगे, सिपु, करिंग और सुबनसिरी
- **जनजाति:** अपतानी जनजाति



चांदीपुरा एक्यूट वायरल इंसेफेलाइटिस (सीएचपीवी)

- **सुर्खियों में क्यों -** भारत में चांदीपुरा वायरस (सीएचपीवी) संक्रमण का वर्तमान प्रकोप पिछले 20 वर्षों में सबसे बड़ा माना जा रहा है। हालांकि अधिकारी सीएचपीवी के संचरण को नियंत्रित करने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार आने वाले हफ्तों में प्रभावित क्षेत्रों में मानसून के मौसम के दौरान वेक्टर आबादी के लिए अनुकूल परिस्थितियों को देखते हुए, आगे का संचरण संभव है।

चांदीपुरा वायरस (सीएचपीवी) के बारे में

- **क्षेत्र -** यह खासकर मानसून के मौसम में देश के पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी भागों में संक्रमण का कारण बनता है।
- यह बालू मक्खियों (Sand Flies), कुछ प्रजातियों के मच्छरों और टिक्स जैसे वेक्टरों द्वारा फैलता है। यह वायरस इन कीटों की लार ग्रंथि में रहता है, तथा इनके काटने से मनुष्यों या अन्य कशेरुकी प्राणियों जैसे पालतू पशुओं में फैल सकता है।

	<ul style="list-style-type: none"> • प्रभावित - वायरस के कारण होने वाला संक्रमण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुँच सकता है, जिससे एन्सेफलाइटिस यानि मस्तिष्क में सूजन हो सकती है। शरीर में रोग का विकास बहुत तेजी से होने की संभावना होती है। • लक्षित समूह - यह संक्रमण मुख्य रूप से 15 साल से कम उम्र के बच्चों तक ही सीमित रहा है। • लक्षण - यह संक्रमण शुरू में फ्लू जैसे लक्षण दर्शाता है जैसे कि बुखार, शरीर में दर्द और सिरदर्द। इसके बाद यह एन्सेफलाइटिस में बदल सकता है। एन्सेफलाइटिस के बाद संक्रमण अक्सर तेजी से बढ़ता है, जिसके कारण अस्पताल में भर्ती होने के 24-48 घंटों के भीतर मृत्यु हो सकती है। • उपचार - इस संक्रमण का प्रबंधन केवल लक्षणात्मक रूप से ही किया जा सकता है, क्योंकि वर्तमान में इसके उपचार के लिए कोई विशिष्ट एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी या टीका उपलब्ध नहीं है।
<p>एसआईजी 716 राइफलें</p>	<ul style="list-style-type: none"> • रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका की सिग सॉयर से 73,000 SIG716 राइफलों के लिए दोबारा ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए हैं और 2025 के अंत तक इनकी आपूर्ति पूरी होने की उम्मीद है। सेना लंबे समय से स्वदेशी INSAS (इंडियन नेशनल स्मॉल आर्म्स सिस्टम) राइफलों को आधुनिक राइफल से बदलने की कोशिश कर रही है। • इसके बारे में: आर्मलाइट राइफल (AR) प्लेटफॉर्म में 7.62 NATO चैम्बर वाली राइफल का एक उन्नत संस्करण। • वजन: 3.82 किलोग्राम • प्रभावी रेंज: 600 मीटर और उपयोग में आने वाले INSAS की तुलना में अधिक सक्षम और विश्वसनीय है। • कैलिबर: INSAS के 5.56 मिमी की तुलना में 7.62 मिमी गोला बासूद। • क्षमताएँ: उच्च रिकॉइल और उच्च कैलिबर है, जिसका उद्देश्य 600 मीटर की दूरी पर लक्ष्य को भेदना है।

